

M-15 1466

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

पञ्जीयक
बिहल्लगज
मध्य प्रदेश

MADHYA PRADESH

पञ्जीयक
ओबेदुल्लागज
26AA 854970



विक्रय पत्र

विक्रय कृषि भूमि कीमत रुपये 20,00,000/-
(रुपये बीस लाख मात्र)

Mr. V
642750/-

अधिकार ऋण पुस्तिका एल क्रमांक- एम-042536

स्टाम्प डियूटी :-

शासकीय मुद्रांक शुल्क	: रु.	1,00,000/-
नगर पालिका शुल्क	: रु.	20,000/-
पंचायत शुल्क	: रु.	20,000/-
उपकर	: रु.	5,000/-
अधिक	: रु.	00/-
योग	: रु.	1,45,000/-

नाम विक्रेता : श्री सुवर्ण सागर वाजपेयी आत्मज श्री विद्यासागर वाजपेयी, आयु 24 वर्ष, जाति बाहमण, निवासी- साकेत नगर, महाराष्ट्र महाविद्यालय, जिला छलसपुर, राष्ट्रीयता भारतीय।

नाम क्रेता : मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन आत्मज श्री स्व. श्री बाबूलाल जी जैन, आयु 50 वर्ष, निवासी- एच.बी. 19, अभिरुचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीयता भारतीय।

Signature

Signature

53 1/2 466 2089

रसाद दस्तावेज को
मुकाब

विक

TEN
RUPEES

Rs.10

किस को दो गई

दस्तावेज को तफसील तारीख व कृषि या दस्तावेज की तारीख या किस जो मुखबंद लिफाफा लिख गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो इसके ऊपर लिखी हुई इबारत

तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा

रजिस्ट्र के ओहदे के छोड़ दस्तावे

1 2 3 4

कनिल कुमार
विही
2000/1

515954

तारीख 18 JUN 2012

उप प्रजिद
ओबेदुल्लाह

ICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

26AA 854971

विक्रय की गई कृषि भूमि का विवरण :

विक्रय भूमि ग्राम मण्डीदीप, प.ह.नं.-03, वार्ड नं. 17, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है।

खसरा क्र.	रकबा	भू-भाटक
438/3	0.405 हेक्टे.	3.13 रु.

उपरोक्त भूमि डायवर्टेड है जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं किसी भी राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है। यह भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है, जिसके विक्रय किये जाने में कोई न्यायालयीन रोक नहीं है। विक्रय भूमि की चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है :-

पूर्व में : खसरा क्रमांक 438
पश्चिम में : नदी
उत्तर में : खसरा क्रमांक 437/1/1/1/2 की भूमि
दक्षिण में : अन्य की भूमि

डायवर्सन का विवरण :

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज, जिला रायसेन के राजस्व प्रकरण क्रमांक 69/अ-2010-11 आदेश पारित दिनांक 24-07-2011 द्वारा उक्त भूमि का डायवर्सन किया गया है।

Suman

Adin

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

26AA 854972

विक्रय मूल्य एवं भुगतान :

विक्रय कृषि भूमि कीमत रुपये 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) विक्रेता द्वारा क्रेता से विक्रय पत्र के पंजीयन के पूर्व निम्नानुसार प्राप्त कर लिये है:-

1. रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का चैक क्रमांक-265262, दिनांक 22-03-12 करूर बैंक लिमि. शाखा भोपाल द्वारा क्रेता ने विक्रेता को भुगतान किये।
2. रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का चैक क्रमांक-265263, दिनांक 26-03-12 करूर बैंक लिमि. शाखा भोपाल द्वारा क्रेता ने विक्रेता को भुगतान किये।

इस प्रकार विक्रय मूल्य की संपूर्ण धनराशि रुपये 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) विक्रेता ने उक्तानुसार क्रेता से प्राप्त कर ली है अब विक्रय मूल्य या विक्रय धन में से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

अन्य विवरण :

ऐसा जो कि विक्रय की जा रही भूमि विक्रेता की स्वयं की है जो कि क्रयशुदा भूमि है जो उसने पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है जिसका पंजीयन दिनांक 11-06-2008, ग्रंथ क्रमांक 1587 पृष्ठ 11 क्रमांक 50 से 60 एवं दस्तावेज क्रमांक 292 पर उप पंजीयन कार्यालय औवेदुल्लागंज में पंजीबद्ध हैं जो विक्रेता के स्वामित्व की है जो विक्रेता के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य में है।

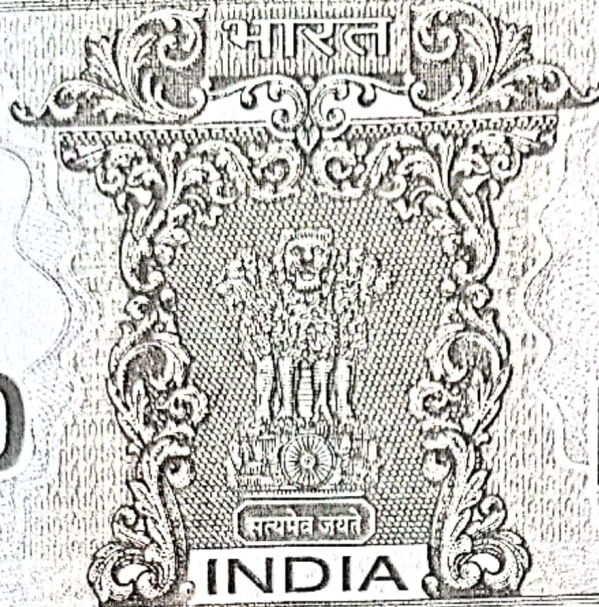
Sarwan

Adun

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

26AA 854973



यह कि विक्रय की जा रही भूमि हर प्रकार के भार व रहन से पूर्णतया मुक्त है, एवं विक्रय भूमि कहीं पर भी दान, बंधक, जमानत एवं वसीयत इत्यादि में नहीं रखी गई है एवं उक्त भूमि के संबंध में भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में प्रकरण लंबित नहीं हैं एवं न ही उक्त भूमि के विक्रय पर किसी प्रकार की कोई रोक लगी है व उक्त भूमि के विक्रय से म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की किसी भी धारा का कोई उल्लंघन नहीं होता है व मुझ विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय एवं हस्तांतरण के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि विक्रेता द्वारा उक्त भूमि रुपये 20,00,000/- में सदैव सदैव के लिये क्रेता को विक्रय कर दी है व ऊपर लिखे अनुसार विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि भी प्राप्त कर ली गई है व विक्रय मूल्य में से क्रेता से अब कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है एवं न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि मुझ विक्रेता द्वारा उपरोक्त भूमि का रिक्त आधिपत्य बहैसियत स्वामी क्रेता को सौंप दिया गया है व क्रेता को संपूर्ण अधिकार है कि वह उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग बहैसियत स्वामी करे व उक्त भूमि का नामांतरण शासकीय अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराये व उसमें जहां कहीं भी हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, मैं विक्रेता करके दूंगा। उक्त भूमि पर अब मुझ विक्रेता व मेरे वारिसान व हित संबंधियों आदि का कोई भी हित निहित नहीं रहा है और न भविष्य में रहेगा व यदि मुझ विक्रेता पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आपत्ति या विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह झूठा एवं सारहीन माना जावेगा।

Suvaran

Adar

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

26AA 854974

यह कि उक्त भूमि पर आज दिनांक से पूर्व का जो भी बकाया शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक, सोसायटी इत्यादि का निकलता है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी व यदि ऐसी कोई राशि क्रेता को अदा करनी पड़ी तो उसकी भरपाई मैं विक्रेता स्वयं करूंगा।

यह कि विक्रय की रही भूमि से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की किसी धारा का कोई उल्लंघन नहीं होता है और न ही किसी अन्य कानून का कोई उल्लंघन होता है व मुझ विक्रेता को बहैसियत स्वामी उपरोक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है व मुझ विक्रेता द्वारा भूमि के मूल दस्तावेज क्रेता को सौंप दिये है व विक्रय पत्र पंजीयन (मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क) का वहन क्रेता पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह कि यदि मुझ विक्रेता के स्वत्व स्वामित्व की त्रुटि की वजह से विक्रय की जा रही भूमि या उसका कोई अंश का कब्जा क्रेता से निकल जाता है तो ऐसी भूमि का अदा किया गया मूल्य क्रेता मुझ विक्रेता से मय हर्जे-खर्चे के प्राप्त करने के अधिकारी होंगे एवं उपरोक्त वर्णित राशि मुझ विक्रेता द्वारा अदा न करने की स्थिति में क्रेता को यह अधिकार होगा वह उपरोक्त राशियों की भरपाई मुझ विक्रेता व मेरे वारिसान की चल व अचल संपत्ति से वसूल करें।

Signature

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

26AA 854975



यह कि विक्रय की जा रही भूमि को विक्रेता ने मौके पर वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य कब्जा उक्त क्रेता को दे दिया है एवं अब इस विक्रय पत्र के पंजीयन के पश्चात क्रेता ही इस भूमि के स्वामी हो गये है और मुझ विक्रेता का उक्त भूमि पर जो मेरे स्वत्व, स्वामित्व के अधिकार थे वह मैंने उक्त क्रेता को दे दिये है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त वर्णित विक्रय भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

यह कि इस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को अधिकार होगा कि वह संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में उक्त वर्णित भूमि का नामांतरण अपने नाम पर करा लेवे जिसमें विक्रेता सहयोग देने के लिए तत्पर एवं पाबंद रहेगा। क्रेता विक्रय भूमि से बहैसियत मालिक व स्वामी के हर प्रकार का लाभ उठावे उसे रहन, विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, वसीयत इत्यादि कर हर प्रकार से लाभान्वित होवें।

यह कि विक्रेता ने उक्त दस्तावेज के पंजीयन में भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22(क) का उल्लंघन नहीं किया है।

[Signature]

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

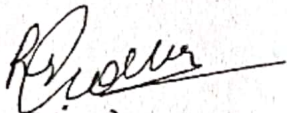
26AA 854976

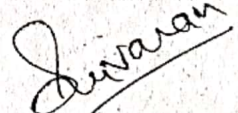
-- 7 --

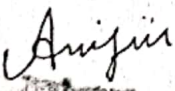
अस्तु यह विक्रय पत्र सहर्ष स्वेच्छानुसार बिना दबाव बहकावों के क्रेता के पक्ष में संपादित व पंजीयन करवा दिया है कि प्रमाण रहे और समयानुसार काम आवें।

इति दिनांक- 31-03-2012

गवाह :-

1. हस्ताक्षर 
नाम रंजीत सिंह गौर
पिता का नाम श्री जगदीश सिंह गौर
पता- जे-276, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल


हस्ताक्षर विक्रेता

2. हस्ताक्षर 
नाम अनिल जादौन
पिता का नाम श्री के.पी. जादौन
पता- ए-30, स्वदेश नगर, अशोका गार्डन
भोपाल

हस्ताक्षर क्रेता


कामिनी गुप्ता


अधिवक्ता

जी.एम.-4, ए-ब्लाक
मानसरोवर काम्पलेक्स, 7 नं. स्टाप, भोपाल
मो. नं. 9826080941

नोट- इस दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं है।



शैलेष
स्टाम्प
स्टेशन रोड, फतेहगढ़

19 SEP 2012



A1 तल्लिख

08

1466

[Handwritten signature]

कुल शुल्क

सेट शुल्क

51565-00

30-00

माला

कुल शुल्क

51595-00

[Handwritten signature]